न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

225RTA2024-130(GCMS2024-223)

1. सुखाराम पुत्र धनाराम जाति जाट
2. ओमप्रकाश पुत्र सुखाराम जाति जाट
   निवासीगण बासनी हरिसिंग,
   तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर ग्रामीण

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. रामभरोस पुत्र भंवराराम उर्फ भंवरलाल (अवयस्क)
2. अनिल पुत्र भंवराराम उर्फ भंवरलाल (अवयस्क)
   दोनों जरिये कुदरती वलिया माता छोटीदेवी पत्नी भंवरलाल
   जाति जाट, निवासी बासनी हरिसिंह, तहसील भोपालगढ,
   जिला जोधपुर ग्रामीण
3. भंवराराम पुत्र सुखाराम जाति जाट
4. बेबी पुत्री सुखाराम पत्नी रामकिशोर जाति जाट
   निवासीगण बासनी हरिसिंह, तहसील भोपालगढ,
   जिला जोधपुर ग्रामीण
5. बैंक प्रबन्धक, युको बैंक, शाखा आसोप
6. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार भोपालगढ

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 24 मई 2024 न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ राजस्व प्रकरण संख्या 85/2024 रामभरोस व अन्य बनाम सुखाराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री जगदीश प्रजापत, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 3
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 6
बकाया रेस्पो. बावजूद सूचना अनुपस्थित

राजस्व अपील प्राधिकारी

नि र्ण य

दिनांक : 18 नवम्बर 2024

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 85/2024 रामभरोज व अन्य बनाम सुखाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 24 मई 2024 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 11 जुलाई 2024 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या एक व दो ने ग्राम बासनी हरिसिंह स्थित आराजी खसरा संख्या 465 रकबा 1.8130 हैक्टयेर, खसरा संख्या 465/1 रकबा 0.8417 हैक्टयेर व खसरा संख्या 465/2 रकबा 0.2347 हैक्टयेर के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53 व 188 के तहत दावा प्रस्तुत किया जाना जाहिर करते हुए एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पेश कर मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त भूमि बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र संस्थित किया गया और वादग्रस्त आराजियात बाबत राजस्व रिकार्ड की आगामी तारीख पेशी तक यथास्थिति बनाये रखने बाबत अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 24 मई 2024 पारित किया गया। जिसके खिलाफ आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजियात अपीलाण्ट सुखाराम स्वयं की जरिये पंजीबद्ध विकय विलेख खरीदसुदा भूमि है, जिसका उपभोग-उपभोग एवं हस्तान्तरण-बेचान आदि

अपील प्राधिकारी

का उसे पूर्ण अधिकार है। अपीलाण्ट सुखाराम के जीवनकाल में उसके पुत्र-पौत्र आदि किसी का उक्त भूमि में कोई अधिकार नहीं बनता है और न ही उनके द्वारा इस बाबत कोई दावा प्रस्तुत किया जा सकता है। वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी भूमि होने बाबत विचारण न्यायालय में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके उपरान्त भी विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन इकतरफा अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी गयी, जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं हैं। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात पक्षकारान की पुश्तैनी भूमि है जिसमें प्रार्थीगण-रेस्पो. के स्वत्व और अधिकार निहित है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण रेस्पो.-प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि मूल वाद के निस्तारण के पूर्व ही अपीलाण्ट्स-अप्रार्थीगण द्वारा रेस्पो.-प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजियात से वंचित कर दिया जाता है अथवा वादग्रस्त आराजियात का बेचान अथवा हस्तान्तरण कर दिया जाता है तो रेस्पो. -प्रार्थीगण को निश्चय ही अपूरणीय क्षति एवं गम्भीर असुविधा होगी। इन तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा न्यायोचित पारित की गयी है। अतः अपील अपीलाण्ट्स सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया और उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। जिससे प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान

अपील प्राधिकारी

किये बिना इकतरफा पारित किया गया है। अदालत हाजा के समक्ष अपील स्तर पर प्रस्तुत पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 30 सितम्बर 1963 की छायाप्रति के अवलोकन से वादग्रस्त आराजियात का धूलाराम वल्द सांवलराम जाति ब्राह्मण (दायमा) साकिन बासनी हरिसिंग द्वारा सुखाराम वल्द धनाराम जाति जाट (मुण्डेल) साकिन बासनी हरिसिंह के पक्ष में बेचान किया जाना नजर आता है। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विचारण न्यायालय में अपीलाण्ट्स द्वारा जबाब-स्थगन प्रार्थनापत्र भी दिनांक 26 जून 2024 को प्रस्तुत किया जा चुका है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में आलौच्य अपील अपीलाण्ट्स आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन इकतरफा अंतरिम आदेश दिनांक 24 मई 2024 अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर आगामी एक माह की अवधि में मूल स्थगन प्रार्थनापत्र का विधिसम्मतः निस्तारण किया जावे। तब तक वादग्रस्त आराजियात बाबत राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर